

मध्यप्रदेश शासन  
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग  
मंत्रालय  
// आदेश //

दिनांक 02/08/2022

क्रमांक एफ 02-02/2021/अ-73: राज्य शासन एतद द्वारा विभागीय आदेश  
क्रमांक एफ 02-02/2021/अ-73 दिनांक 29.11.2021 से जारी "मुख्यमंत्री  
उद्यम क्रांति योजना" की कंडिका क्रमांक 1(ii) पात्रता के भाग (क) तथा (ख) को  
निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है:-

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| (क) आयु              | 18-45 वर्ष।          |
| (ख) शैक्षणिक योग्यता | 8वीं कक्षा उत्तीर्ण। |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(शशि भूषण सिंह)

अपर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ. क्रमांक एफ 02-02/2021/अ-73

भोपाल दिनांक 02/08/2022

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल।
3. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. आयुक्त जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।

6. आयुक्त संस्थागत वित्त, मध्यप्रदेश विंध्याचल भवन, भोपाल।
7. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
8. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
9. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
10. नियंत्रक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर कृपया उक्त परिपत्र को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 25 प्रतियां इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।
11. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम विभाग।
12. समन्वयक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑचलिक कार्यालय, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
13. मुख्य परिचालन अधिकारी, एमपी ऑनलाईन लिमिटेड, डी.बी.सीटी मॉल, एम.पी.नगर भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
14. समस्त संयुक्त संचालक उद्योग, परिक्षेत्रिय कार्यालय, मध्यप्रदेश।
15. समस्त महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्य उद्यम विभाग